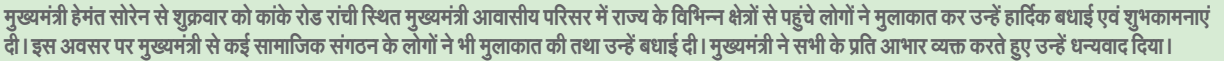


- हेमंत सोरेन नयी पारी के लिए तैयार और सक्षम भी
- मुख्यमंत्री का लक्ष्य अबुआ राज का संपूर्ण विकास

तल और राम चिका खारिज

रांची-रामगढ़ मार्ग में उकरीया नकवाटोली के पास कंटेनर ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक की तलाशी ली गयी, तो केबीन के अंदर ड्राइवर सैट के पीछे बने बॉक्स से कुल 16 किलोग्राम प्लास्टिक के बोरा में करीब 406 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बता दें कि गांजा संबलपुर से लाकर टॉल गेट के आगे रामगढ़ में देना था। इस दौरान जब्त किये गये गांजा का मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को पिरो कर संविधान का सृजन किया। आज के समय में, जब अन्याय और



जोगेंद्र लाल, रंजन पासवान
सुबोध कांत, खुदा राम, कमल
राम, राजीव राज लाल, राके
राम, गोविंद बाल्मिकी, मनोज राम
संजय चौधरी, प्रेम मित्तल, सूर
चौरसिया, बबीता वर्मा सहित अन
भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

चेतावनी : पीला कार्ड और डबल राशन कार्ड का लाभ उठा रहे डीलरों पर होगी कार्रवाई निर्धारित वजन से कम राशन देने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई: विधायक

कहा- अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले डीलरों का लाइसेंस होगा रद्द

आजाद सिपाही संवाददाता

पांकी/पलामू। विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने शुक्रवार को नीलांबर पितांबरपुर मोर्चा फार्म हाउस में नीलांबर पितांबरपुर प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण दुकानदारों के साथ बैठक की। जिसमें विधायक ने सभी जन वितरण दुकानदारों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर कम राशन वितरण करने वाले डीलरों को बख्शा नहीं जायेगा। लाल कार्ड धारी को प्रति यूनिट पांच किलो राशन देना होगा। इसी तरह पीला कार्डधारी को 35 किलो राशन वितरण करना होगा। निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करने वाले डीलरों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने बताया कि विभिन्न



डीलरों के साथ बैठक करते विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ।

क्षेत्रों से शिकायत मिल रही है कि डीलर निर्धारित मात्रा से कम राशन दे रहे हैं। लाल कार्ड धारी को प्रति यूनिट 5 किलो की जगह चार से 4.5 किलो राशन ही वितरण कर रहे हैं। जबकि पीला कार्ड धारी को 35 किलो की जगह 25 किलो राशन दे रहे है, जो नियम के विरुद्ध है। चना दाल वितरण में भी डीलरों द्वारा कार्ड धारियों से अवैध पैसों की वसूली की जा रही है।

स्व मधु सिंह ने शोषित-पीड़ित के लिए आजीवन संघर्ष किया : लालसूरज



पांकी/पलामू (आजाद सिपाही)। कांग्रेस नेता लालसूरज ने बांडुबर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्व मधु सिंह की पुण्यतिथि मनायी। लगे हाथ विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की। इस दौरान एक-एक कार्यकर्ताओं ने उनकी राय जानने का प्रयास किया गया। इधर, पुण्यतिथि पर लालसूरज ने कहा कि पूर्व मंत्री स्व मधु सिंह ने दबे कुचले शोषित पीड़ित के लिए आजीवन संघर्ष किया। सभी वर्गों को हक अधिकार दिलाने के लिए जंगलों में भी खाक छाना। कहा कि हम सभी को मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। कार्यक्रम संचालन कन्हौड़ लाल सिंह ने किया। इस मौके पर निरंजन यादव, पूर्व मुखिया कामख्या सिंह, रिकू सिंह, मोड़उडीन अंसारी, भीम शुक्ला, समाज सेवी अरविन्द सिंह आदि उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा को लेकर सीओ ने समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों साथ निकली जागरूकता रैली



छतरपुर (आजाद सिपाही)। सीओ उपेंद्र कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के साथ ही समाजसेवियों को लेकर शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। जो छतरपुर अंचल कार्यालय से शुरू हुई। इस दौरान सईडीह मोड़ पर लोगों की जागरूक करने के साथ ही इसके महत्व के बारे में समझाया। सीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा के नियम को ताख पर रखकर चलने वाले एवं बिना हेलमेट व लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने की अपील की गई। इस दौरान जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे उन्हें समझाया गया। सभी ने आज के बाद हेलमेट लगाकर चलने का वादा किया। इस पर सीओ ने उन्हें पुष्प माला पहनाया। इसके बाद रैली छतरपुर के जपला मोड़ पर नुककड़ सभा में तब्दील हो गई। वहां भी सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाया गया जिसमें छतरपुर में होने वाले आघाटिन दुर्घटना के बारे में भी चर्चा की गयी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि ने भी अपनी बात रखी। वहीं अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन ने लोगों से अपील की कि सड़क दुर्घटना किसी अभिशाप से काम नहीं है। एक झटके में किसी के दुनिया घुट जाती है। इससे बचने के लिए हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि अपने बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें।

विश्रामपुर सीओ ने अवैध रूप से भंडारण किये गये 15 ट्रेक्टर बालू को जब्त किया

विश्रामपुर/पलामू (आजाद सिपाही)। विश्रामपुर सीओ राकेश तिवारी ने शुक्रवार को अवैध रूप से भंडारण किए गए 15 ट्रेक्टर बालू को जब्त किया। बालू का यह अवैध भंडारण विश्रामपुर थाना के राजपुरवा पहाड़ के पास हरहैया गांव किनारे आबादी से दूर सुनसान जगह पर किया गया था। सीओ ने जब्त बालू को तत्काल पुलिस के हवाले कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गए। जानकारी के अनुसार माफियाओं द्वारा रेहला व विश्रामपुर थाना क्षेत्र में बालू का अवैध उत्खनन, दुलारी, भंडारण धड़ल्ले से किया जा रहा है। पूरी रात दर्जनों ट्रेक्टर रेहला कोयल नदी के विभिन्न घाटों से बालू का उत्खनन व उठाव कर रहे हैं। जिसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ग्राहक नहीं मिलने पर उसे वीरान जगह पर डंप किया जाता है। जिसे बाद में वहां से उठाकर बेचा जाता है। विश्रामपुर सीओ को भंडारण की शुक्रवार को सूचना मिलने पर वे तुरंत बालू डंप किए गए स्थल पर पहुंच गये। वहीं से उन्होंने इसकी सूचना रेहला व विश्रामपुर पुलिस को दी। करीब 45 मिनट आनाकानी करने के बाद रेहला व विश्रामपुर पुलिस एक साथ मौके पर पहुंची। भंडारण स्थल विश्रामपुर थाना क्षेत्र में ही था। वहीं, विलंब से पुलिस के पहुंचने पर सीओ ने नाराजगी भी जहिर की। साथ ही कहा कि बालू माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा।

हुए कहा कि अगर डीलर अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उन्होंने सभी डीलरों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित मात्रा में राशन का वितरण करें। जिस गांव के डीलर वहां नियुक्त है, उसी गांव में राशन वितरण करना है। जिनके नाम से लाइसेंस है, वही व्यक्ति राशन का वितरण करेंगे। उनके रिश्तेदार किसी भी कीमत पर राशन वितरण नहीं करेंगे। विधायक ने एमओ आलोक पांडेय को निर्देश दिया कि जो डीलर पीला कार्ड और डबल राशन कार्ड का लाभ ले रहे है, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कहा कि राशन वितरण को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। डीलरों को हर हाल में निर्धारित वजन में राशन वितरण करना होगा। बताया कि राशन

वितरण सुचारू रूप से कराने के लिए कमटी का गठन किया जाएगा, जिनकी देख-देख में लाभुकों को निर्धारित वजन में राशन वितरण किया जाएगा। सभी डीलर समय पर लाभुकों को राशन वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पलामू डीसी से मिलकर राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर एमओ आलोक पांडेय, एजीएम विनय कुमार, नीलांबर पितांबरपुर प्रखंड प्रमुख सुनील पासवान, प्रो बच्चन ठाकुर, सुनील कुशवाहा, डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष बिंदु तिवारी, वीरेंद्र मेहता, ललित मेहता, पूर्व मुखिया अजय पासवान, सुधीर तिवारी, मुन्ना असलम, दुलारचन सिंह, दिलीप तिवारी, मुन्ना दुवे और रामनाथ राम आदि मौजूद थे।

टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार

आरोपित के खिलाफ नौडीहा बाजार और छतरपुर थानों में विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले हैं दर्ज

आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू एसपी को मिली गुप्त सूचना के आलोक में नौडीहा बाजार पुलिस ने शुक्रवार को टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान जितेन्द्र सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता जी (28) के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलेया खुर्द गांव का रहने वाला है। उसे इस दिन बाराखाड़ डैम के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न कांडों में संपत्तिका की बात भी स्वीकार की है। जिसमें 20 मई 2024 को सलेया खुर्द ग्राम में आपसी विवाद को लेकर ग्रामिणों से बेहरमी से मारपीट, 24 अक्टूबर को तिरुद्गम ग्राम के पहाड़ी पर पुलिस के साथ



पहाड़ी की तरफ से आता दिखा, जो पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, पर पुलिस के जवानों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य जितेन्द्र सिंह है। उसने विभिन्न कांडों में संपत्तिका की बात भी स्वीकार की है। जिसमें 20 मई 2024 को सलेया खुर्द ग्राम में आपसी विवाद को लेकर ग्रामिणों से बेहरमी से मारपीट, 24 अक्टूबर को तिरुद्गम ग्राम के पहाड़ी पर पुलिस के साथ

गोलीबारी और चार अप्रैल को छतरपुर थाना अंतर्गत राजदेरवा में टावर कर्मियों के साथ मारपीट की घटना शामिल है। उसके खिलाफ नौडीहा बाजार और छतरपुर थानों में विभिन्न धाराओं के तरह कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, छापामारी दल में :- छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव, नौडीहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी, सअनि दुनदुन कुमार, सअनि अजय कुमार राय आदि शामिल थे।

मनातू प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा

आजाद सिपाही संवाददाता

मनातू/पलामू। मनातू प्रखंड के ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गीता देवी और संचालन बीडीओ अनुज बांडों ने किया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख ने क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। कहा कि पंचायत के विकास के लिए सरकार की ओर से वर्तमान में चल रही योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाय। साथ ही दूरगामी योजनाओं को निर्धारित किया



जाय, ताकि उसके पूरा होने के बाद पंचायत में विकास की गति को बढ़ावा मिले। वहीं, बीडीओ ने बताया कि 15वें वित से पूरे मनातू प्रखंड में 17 योजना संचालित है। कुछ योजनाएं पूरी भी हो गई है, जबकि कुछ का कार्य जारी है।

उन्होंने कहा कि जहां भी पंचायत क्षेत्र में काम चल रहा है वहां कनीय अभियंता समय-समय पर जांच कर बेहतर काम करायें। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह कार्यकारिणी की एक बैठक होगी। जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी।

आजाद सिपाही में छपी खबर का हुआ असर प्राथमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में हुई गड़बड़ी का शिक्षा अधीक्षक ने लिया संज्ञान

आजाद सिपाही संवाददाता

चैनपुर/पलामू। चैनपुर प्रखंड के भड़गांव पंचायत के टोला चमरदोहरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक रामेश्वर पासवान द्वारा छात्र-छात्राओं को मध्यान भोजन देने लतातार अनियमितता बरती जा रही थी। गत गुरुवार को भी मेन्सू के अनुसार मध्यान भोजन में चावल, दाल, हरी सब्जी, चोखा व भुजिया के बजाय रसोईया द्वारा चावल-दाल और चोखा ही दिया गया था। जिस खबर को दैनिक



अखबार आजाद सिपाही में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। जिसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्देश पर शुक्रवार को प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने

बताया कि दैनिक अखबर में प्रकाशित खबर सही है। बताया कि जांच करने पर मध्यान भोजन में बच्चों को अंडा नहीं दिया गया था। जांच में सत्यता मिली है। इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी।

हुसैनाबाद के बराही धाम में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का भव्य मंदिर यहां बनाया जायेगा 151 फीट का नवग्रह का मंदिर भी



सुप्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में 14 अप्रैल 2025 को होगा भव्य भूमि पूजन

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। ऐतिहासिक बराही धाम में 351 फीट विश्व का सबसे ऊंची मां दुर्गा का मंदिर और 151 फीट ऊंचा नवग्रह मंदिर बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला 14 अप्रैल 2025 को रखी जाएगी। शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लिया गया है। यहां 151 फिट की नवग्रह का मंदिर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त मंदिर से पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं, ट्रस्ट के संयोजक रणधीर सिंह ने बताया कि 105 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा पहले ही बराही धाम को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने बताया कि 105 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान खुदाई में शेर पर सवार मां दुर्गा की प्रतिमा मिली थी। इसके बाद ही विश्व की सबसे ऊंची मां दुर्गा मंदिर बनाने का ट्रस्ट के लोगों ने संकल्प लिया



धार्मिक महत्व और वैदिक शिक्षा का केंद्र

बतातें चलें कि बराही धाम पहले से ही झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर परिसर में वैदिक शिक्षा केंद्र भी संचालित है। जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाता है।

था। इस धाम में विगत दो वर्षों से प्रत्येक मंगलवार को भंडारा का आयोजन किया जाता है। बतातें चलें कि विश्व के सबसे ऊंचे मां भगवती के मंदिर की आधारशिला 14 अप्रैल 2025 को रखी जायेगी। जिसके भूमि पूजन के अवसर पर प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज के अलावा देश के कई साधु संत शामिल होंगे। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण बराही धाम को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करेगा। यह मंदिर धार्मिक आस्था को नया आयाम देगा। मौके पर आचार्य शिव कुमार झा, कमला सिंह, राजेश्वर सिंह, धनंजय सिंह, बबलू सिंह, जितेन्द्र कुमार सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, पिंटू सिंह, प्रभात कुमार सिंह, प्रिंस कुमार सिंह, मंगल यादव और बलि यादव आदि मौजूद थे।

प्रपत्र VII झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) या समाहर्ता या समुचित सरकार अधिघोषणा (अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)											
संख्या-939/भू040						दिनांक-04/12/2024					
भूमि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-तिलैया से बगडो मारा जयनगर पथ के पुनर्संमाण हेतु ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा में कुल-0.0480 एकड़ यानि- 0.0194 हे० भूमि उपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप में कर्मावेश-0.0480 एकड़ यानि-0.0194 हेक्टेयर है और जो ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-											
ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा।											
क्रम सं०	खता नं०	सर्व भूखंड सं०	स्वामिग का प्रकार	सर्व किस्म (भूमि का प्रकार)	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)				
							उ०	द०	पू०	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	35	4154	रैयती	बाद	0.0070	सलमत मिश्रा पिता-चोवा मिश्रा पति-अजीत मिश्रा साहू- बगडो।	विमना मौजा बरगडिया एवं प्लॉट 4154		विमना मौजा बरगडिया एवं प्लॉट 4154	प्लॉट 4154 अंश	
2	92	4191	रैयती	टांड	0.0410	आशिन मिश्रा वो शरकु मिश्रा वो आरिफ मिश्रा पिता-धरम मिश्रा वो मौलाना मुस्तकीम वो सलु मिश्रा पिता-गफूर मिश्रा वो मोहनी खातुन पति-गफूर मिश्रा वो मकसूद आसम वो ईशमाइल अंसारी वो ईश्वरदास अंसारी वो इरफान अंसारी पिता- अकबर मिश्रा वो रजिया खातुन वो मौ सीमा खातुन पति-अकबर मिश्रा साहू-बगडो।	प्लॉट 4191 अंश	प्लॉट 4155 अंश	सलता	प्लॉट 4191 अंश	
कुल:-					0.0480						
यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं-30/3013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किये गये हैं, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:- ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा कुल रकबा-0.0480 एकड़ यानि-0.0194 हेक्टेयर भूमि अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:- शून्य ह०/- PR 341338 Land Reforms(24-25)D											
						समुचित सरकार-सह- उपायुक्त, कोडरमा।					

प्रपत्र VII											
झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग											
(भू-अर्जन निदेशालय) या समाहर्ता या समुचित सरकार											
अधिघोषणा											
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)						दिनांक-04/12/2024					
संख्या-937/भू040											
भूमि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-डोमचौच से पिपवो रोड चौड़ीकरण हेतु ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं0-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा में कुल-1.6000 एकड़ यानि-0.6475 हे0 भूमि अपेक्षित है।											
इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप में कर्मावेश-1.6000 एकड़ यानि-0.6475 हेक्टेयर है और जो ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं0-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-											
ग्राम-बगडो, थाना सं0-310, थाना-डोमचौच, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा।											
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता							सीमा (भूखंड सं0)				
क्रम सं0	खता नं0	सर्व भूखंड सं0	स्वामिग का प्रकार	सर्व किस्म (भूमि का प्रकार)	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)		उ0	द0	पू0	प0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	37	3	रैयती	चीरा-मीठा	0.1200	मसो0 सबजाना खातुन पति-धरम मिश्रा वो ओली मिश्रा पिता-रसोड जुमन मिश्रा वो मसो0 ससिया खातुन पति-बदरुद्दीन वो अहमद मिश्रा पिता-विशुन मिश्रा वो मसो0 जुलेखा खातुन पति-करीम मिश्रा वो सुमानी मिश्रा पिता-अजरली मिश्रा वो मुखार मिश्रा वो खलील मिश्रा वो हनीफ मिश्रा वो आयुब अंसारी पिता-रहीम मिश्रा वो मसो0-मेमुना खातुन पति-सलामत मिश्रा वो सलीम मिश्रा पिता-शकूर मिश्रा वो मनीर मिश्रा पिता-पुनीत मिश्रा वो अजीज मिश्रा पिता-रहमत मिश्रा वो बीबी अमीना खातुन पति-जुमन मिश्रा साहू-बगडो।	उ0-प्लॉट नं0-3 अंश द0-प्लॉट नं0-4 पू0-प्लॉट नं0-6 प0-प्लॉट नं0-3 अंश उ0-प्लॉट नं0-4 एवं 3 अंश द0-प्लॉट नं0-4 अंश पू0-प्लॉट नं0-1154 प0-सीमाना गोलावा ढाब				
	37	4	रैयती	टाँड	0.7800	राजेन्द्र प्रसाद यादव खुबलाल यादव वो महेन्द्र यादव वो राम किशुन यादव पिता-झरी यादव वो शान्ति देवी पति- इयामलाल यादव वो सुदामा देवी पति- सोमारी यादव वो मैनाब देवी पति-लखन यादव वो चेतलाल यादव वो हेमलाल यादव पिता- खागो यादव साहू-बगडो।	उ0-प्लॉट नं0-1 एवं सर्व शसता द0-प्लॉट नं0-1154 पू0-प्लॉट नं0-6 प0-प्लॉट नं0-6 एवं 3				
3	67	6	रैयती	परती कदीम	0.7000						
कुल:-					1.6000 एकड़						
यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किये गये हैं, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-											
ग्राम-बगडो थाना-डोमचौच, थाना सं0-310, अंचल-डोमचौच, जिला-कोडरमा कुल रकबा-1.6000 एकड़ यानि-0.6475 हेक्टेयर भूमि अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।											
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:- शून्य											
ह0/-											
समुचित सरकार-सह- उपायुक्त, कोडरमा।											
PR 341332 Land Reforms (24-25)_D											

